न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/95/2015

उनवान

1. भूरा पिता मगना तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ
2. गोपी पिता मगना तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ
3. बंशी पुत्र छगना तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ
4. मोहन पिता छगना तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ
5. जगन्नाथ पुत्र कल्याण तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ
6. घीसा पुत्र देबी लाल तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रूकमा बेवा देबी तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 701/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2015

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री नवीन निम्बार्क ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी(अनुपस्थित)

निर्णय

दिनांक 3.8.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धामनिया पटवार हल्का धामनिया की सरहद में खाता संख्या 211 के आराजी नम्बर 546/4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर बंशी, मोहन पिता छगना तेली व जगन्नाथ पिता कल्याण तेली का कब्जा है । मैंने उक्त जमीन बंशी, मोहन पिता छगना तेली व जगन्नाथ पिता कल्याण तेली को बेचान नहीं किया है और न ही रहन किया है। मैनें प्रतिवादीगणों को कब्जा हटाने के लिए तो प्रतिवादीगणों ने कब्जा हटाने को मना कर दिया दिनांक 6.6.2015 को भू अभिलेख निरीक्षक ने विवादित आराजियात की पत्थरगढी कराई गई । अतः वादिया की आराजी नम्बर 546/4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का कब्जा दिलाया जावे।
2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अधिवक्त अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय एंवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती त्रटि की गई है , न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।
5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक साधारण प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत केम्प धामनिया में दिनांक 29.6.2015 को प्रस्तुत किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर उसी दिन निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित कर दी जिसमें अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार यह निर्णय एवं डिक्री न्याय के सामान्य प्रक्रिया व सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट के तथाकथित वाद पत्र जिसे अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज नहीं किया गया है । वह वाद पत्र के स्वरूप में नहीं है क्योंकि इस वाद पत्र में न्यायशुल्क भी अदा नहीं किया गया है और न ही वादिया का सत्यापन है। इसी प्रकार वाद हेतु किस दिनांक को उत्पन्न हुआ व अपीलार्थीगण का कब्जा किस दिनांक से उक्त आराजी पर रहा है इत्यादि सभी आवश्यक बिन्दु के अभाव में इस प्रार्थना पत्र को वाद पत्र के रूप में दर्ज किया जाना ही त्रुटिपूर्ण होकर उस पर की गई कार्यवाही व निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण बनाया गया है को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सम्मन जारी ही नहीं किया गया है केवल मात्र अपीलार्थी को सुनकर तथाकथित निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय व डिक्री की परिभाषा में नहीं होकर सशर्त है कि यदि कब्जा पाया जावे तेा अवैध कब्जा माना जाकर कब्जा वादिया को सिपूर्द किया जावे। इस प्रकार का निर्णय एवं डिक्री सर्वथा विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ द्वारा पत्थरगढी का आदेश दिनांक 21.4.2015 को पारित किया गया है जिसमें पत्थरगढी कर उसकी पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश थे। जबकि पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट दिनांक 6.6.2015 को तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी/वादिया ने राजस्व लोक अदालत केम्प, धामणियां में दिनांक 29.6.2015 को अपने खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 में दर्ज किये जाने का आदेश प्रार्थना पत्र पर ही दिया गया है।

10. दिनांक 29.6.2015 को ही उक्त प्रार्थना पत्र को वाद पत्र के रूप में दर्ज किया गया एवं उसी दिन प्रकरण का निस्तारण बिना प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जबकि न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये समन सूचित कर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 3.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

3/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा